



बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2019-21 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



कुलपति महोदय का संदेश

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सत्र 2019-21 की राज्य स्तरीय बी0एड0 (द्विवर्षीय) संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2019 को आयोजित करने का उत्तरदायित्व महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली को प्रदान किया गया है। प्राचीन काल में बरेली का क्षेत्र पांचाल जनपद का एक भाग था। इसी पावन भूमि के आंचल में महाभारत काल भी पल्लवित एवं पुष्पित हुआ। राजा बरलदेव की बसायी बरेली ने, लगभग चार हजार वर्ष प्राचीन अपने अस्तित्व में असंख्य अमूल्य विरासत को संजोकर स्वयं को निरन्तर समृद्ध किया है। प्राकृतिक सौन्दर्य का पर्याय बरेली शहर का निर्माण मूलतः श्री मकरंद राय ने सन् 1537 ई0 में करवाया था। नाथनगरी के रूप में बरेली को धार्मिक सिरमौर्य भी प्राप्त है।

इस क्षेत्र की सांस्कृतिक व अकादमिक धरोहर के संरक्षण, प्रसारण व शोध हेतु रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय की स्थापना सन् 1975 ई0 में एक सम्बद्ध विश्वविद्यालय के रूप में की गयी। सन् 1985 ई0 में इसने आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में 9 जिलों-बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, बदायूँ, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सम्भल एवं अमरोहा को आच्छादित कर लिया तथा वर्तमान में इससे 548 महाविद्यालय सम्बद्ध हैं। अगस्त, 1997 में यह विश्वविद्यालय महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय के रूप में ख्याति अर्जित करने लगा। लगभग दो सौ सात एकड़ के प्राकृतिक प्रांगण में अवस्थित यह आवासीय विश्वविद्यालय मध्य उत्तर प्रदेश का गौरव है। प्राकृतिक सौंदर्य की छटा विश्वविद्यालय को रमणीय बनाती है साथ ही उन्नत शैक्षणिक सुविधायें जैसे-पांचाल संग्रहालय, केन्द्रीकृत प्रयोगशाला, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया, नियमित सत्र, सिन्थेटिक ट्रैक, TEQIP से प्राप्त अनुदान विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु विश्वविद्यालय की सक्षम तत्परता की द्योतक है। दो बार सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का पारितोषिक प्राप्त करना विश्वविद्यालय की अर्जित उल्लेखनीय उपलब्धि है। शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान, राजनीति, वाणिज्य, व्यापार एवं खेल जगत में पुरातन छात्रों का विश्वस्तरीय अभूतपूर्व योगदान है। राहुल जौहरी, अशोक चक्रधर, मो0 शमी एवं मो0 इकबाल जैसे छात्रों ने विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान की है। वर्तमान में बरेली आधुनिकीकरण की दिशा में गतिमान है और इसे 'स्मार्टसिटी' के रूप में विकसित किया जा रहा है।

इस विश्वविद्यालय की प्रशासनिक क्षमताओं के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन ने बी0एड0 (द्विवर्षीय) संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2019 का जो दायित्व सौंपा है उसकी शुचिता एवं पारदर्शिता के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। प्रवेश परीक्षा की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन की गयी है, जिससे अभ्यर्थी सहजता से प्रवेश प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को निष्पादित कर सकें तथा विश्वविद्यालय भी प्रवेश प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की निष्पक्षता एवं सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित कर सके। बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश के अभिलाषी समस्त अभ्यर्थियों के उज्ज्वल एवं प्रगतिशील भविष्य हेतु हमारी अनंत शुभकामनायें। साथ ही इस गुरुतर उत्तरदायित्व का निर्वहन करने एवं निष्ठापूर्वक सम्पन्न कराने के लिए समर्पित विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारियों एवं सहभागी सदस्यों को मेरी अशेष मंगलकामनायें एवं शुभेच्छा।

अनिल शुक्ल
कुलपति



बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2019-21 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रो0 बी0आर0 कुकरेती

राज्य समन्वयक

उत्तर प्रदेश संयुक्त बी0एड0 प्रवेश परीक्षा 2019-21

विभागाध्यक्ष

बी0एड0/एम0एड0 विभाग

शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकाय

एम0जे0पी0रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।



शुभकामना संदेश

अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है कि उत्तर प्रदेश शासन ने महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली को दूसरी बार उत्तर प्रदेश राज्य संयुक्त बी0एड0 प्रवेश परीक्षा-2019 का गुरुतर उत्तरदायित्व प्रदान किया है। शासन द्वारा प्राप्त यह सुअवसर विश्वविद्यालय की निष्पक्ष कार्यशैली एवं उत्कृष्ट प्रशासनिक दक्षता को प्रकट करता है। शासन का विश्वविद्यालय के प्रति यह विश्वास समस्त विश्वविद्यालयी वातावरण को सकारात्मक रूप से प्रेरित एवं ऊर्जित कर रहा है। समस्त प्रवेश प्रक्रिया को निर्बाध एवं सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के लिए विश्वविद्यालय समयबद्ध शिल्पनियोजन में संलग्न है।

अधिनूतन तकनीकी विकास ने शैक्षणिक परिवेश को लगभग पूर्णरूपेण आच्छादित कर लिया है। अर्वाचीन इस युग ने जहाँ तकनीकी कुशल अभ्यर्थियों के लिए परिस्थितियों को सुगम एवं सहज बनाया है तो वहीं दूसरी तरफ सीमित संसाधनों एवं अल्प तकनीकी ज्ञान ने स्थितियों को जटिल भी बना दिया है। इन स्थितियों को संज्ञान में लेते हुए यथासंभव सम्पूर्ण प्रवेश प्रक्रिया को सरलतम बनाने का प्रयास किया गया है। सम्पूर्ण प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन है, इसलिए प्रवेश के प्रत्येक चरण में अभ्यर्थियों की छोटी से छोटी समस्याओं एवं शंकाओं के निराकरण का यथेष्ट प्रयास किया जा रहा है। इस हेतु हेल्पलाइन, मोबाईल सेवा एवं ई-मेल की सुविधा अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध करायी गयी है। अभ्यर्थियों की प्रवेश पात्रता प्रक्रिया को सरलतम बनाने हेतु प्रवेश प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में अधिकतम यथोचित विकल्प उपलब्ध कराये गये हैं, जिससे अर्हता प्राप्त प्रत्येक अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकें।

सम्पूर्ण प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी, सहज, सरल, गोपनीय एवं निष्पक्ष रूप से सम्पादित करने के लिए हम दृढ़ संकल्पित एवं वचनबद्ध हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम कुशल शिल्पनियोजक माननीय कुलपति प्रो0 अनिल शुक्ल के दक्ष मार्गदर्शन में सम्पूर्ण प्रवेश प्रक्रिया को सफलापूर्वक सम्पन्न कर सकेंगे। समस्त अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से अशेष शुभकामनाएँ।

प्रो0 बी0आर0 कुकरेती

राज्य समन्वयक



बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2019-21 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



अनुक्रम

क्र.सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	शैक्षिक अर्हता	4
2.	महत्वपूर्ण तिथियाँ	5
3.	महत्वपूर्ण निर्देश	6
4.	ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया	7-8
5.	ऑनलाइन आवेदन सम्बन्धी सामान्य निर्देश	9-11
6.	आरक्षण सम्बन्धी निर्देश	12-13
7.	प्रवेश परीक्षा प्रारूप	14
8.	परिशिष्ट - 1 भारांक	15-16
9.	परिशिष्ट - 2 विश्वविद्यालयों के नाम	17
10.	परिशिष्ट - 3 प्रस्तावित शहरों की सूची, जहाँ परीक्षा केन्द्र बनाया जाना है।	18
11.	प्रमाण-पत्रों के प्रारूप	19-29
12.	सम्पर्क सूत्र	30



बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2019-21 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



शैक्षिक अर्हता

बी0एड0 (द्विवर्षीय) प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निम्नवत् है—

1. विज्ञान/वाणिज्य/सामाजिक-विज्ञान/मानविकी वर्ग में सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम 50% (पचास प्रतिशत) अंकों के साथ विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अथवा स्नातकोत्तर उपाधि। बी0ई0 एवं बी0टेक0 में गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता वाले छात्रों के लिए न्यूनतम 55% (पचपन प्रतिशत) अंकों के साथ अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह हैं।
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण अथवा गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ बी0ई0 एवं बी0टेक0 में स्नातक उपाधि अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह हैं।
3. विशेष वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में छूट उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश के अनुसार प्रदान की जाएगी।
4. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी या उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में शिक्षाशास्त्री (बी0एड0) में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों हेतु शैक्षिक अर्हता का विवरण निम्नवत् है—

न्यूनतम 50% (पचास प्रतिशत) अंकों सहित सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की त्रिवर्षीय शास्त्री परीक्षा, या द्विवर्षीय शास्त्री परीक्षा सत्र 1990 तक या विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय की शास्त्री अथवा त्रिवर्षीय स्नातक परीक्षा तीनों वर्षों में संस्कृत सहित अथवा द्विवर्षीय शास्त्री या संस्कृत वैकल्पिक विषय सहित द्विवर्षीय स्नातक परीक्षा 1985 तक।

नोट— ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2019 में अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, वे भी इस प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने हेतु अर्ह होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग प्रक्रिया के पूर्व न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा।



बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2019-21 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



बी0एड0 (द्विवर्षीय) प्रवेश परीक्षा 2019 से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियाँ *

क्र.सं.	विवरण	तिथि	दिन
1	ऑन-लाईन आवेदन पंजीकरण प्रारम्भ की तिथि	11/02/2019	सोमवार
2	ऑन-लाईन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि	11/03/2019	सोमवार
3	परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि	13/03/2019	बुधवार
4	सम्पूरित आवेदन पत्र परीक्षा शुल्क सहित ऑन-लाईन जमा (Submit) करने की अंतिम तिथि	13/03/2019	बुधवार
5	प्रवेश परीक्षा की तिथि	11/04/2019	गुरुवार
6	प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा परिणाम की सम्भावित तिथि	10 से 15 मई, 2019	---
7	ऑन-लाईन प्रवेश काउन्सलिंग (मुख्य एवं पूल) की सम्भावित तिथि	1 से 30 जून, 2019	---
8	शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने की तिथि	01/07/2019	सोमवार
9	अभ्यर्थियों का सीधा प्रवेश एवं उनके प्रमाणन की अंतिम तिथि	10/07/2019	बुधवार

बी0एड0 (द्विवर्षीय) 2019-21 से सम्बन्धित किसी भी वाद का न्याय क्षेत्र बरेली होगा।

- * किसी विशेष परिस्थिति में बी0एड0 (द्विवर्षीय) प्रवेश परीक्षा- 2019 से सम्बन्धित तिथियों में परिवर्तन का अधिकार आयोजक महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के पास होगा। यदि बी0एड0 (द्विवर्षीय) प्रवेश परीक्षा-2019 से सम्बन्धित कोई तिथि परिवर्तित होती है तो इसकी सूचना महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।



बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2019-21 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



महत्वपूर्ण निर्देश

1. प्रवेश परीक्षा हेतु ऑन-लाईन आवेदन करने के पूर्व अर्हता सम्बन्धी निर्देशों के अवश्य पढ़ लें जो वेबसाइट www.mjpru.ac.in एवं www.upbed2019.in पर उपलब्ध हैं।
2. आवेदक की अर्हता तथा भारांकों में किसी भी त्रुटि के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा तथा इस सम्बन्ध में किसी तरह के वाद की स्थिति मान्य नहीं होगी।
3. आवेदन पत्र अथवा कोई भी शैक्षिक प्रमाण पत्र एवं अतिरिक्त अंकों से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न कर महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली को भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी को समस्त प्रमाण पत्र महाविद्यालय में प्रवेश के समय मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. समस्त अभ्यर्थी भरे हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट की मूलप्रति/छायाप्रति एवं उसकी पंजीकरण संख्या भविष्य में संदर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।
5. ऑनलाइन आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नवीनतम रंगीन अभिमुख फोटो (Front Face), दोनों तर्जनी (Both Index Fingers) तथा हस्ताक्षर 35mm × 45mm आकार में अपलोड करना अनिवार्य है। फोटोग्राफ, दोनों तर्जनी (Both Index Fingers) तथा हस्ताक्षर की 50 KB प्रत्येक की JPG format में कम्प्यूटर फाईल होगी। ऐसा न होने पर आवेदन पत्र/अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जाएगा।
6. बी0एड0 (द्विवर्षीय) 2019-21 से सम्बन्धित किसी भी वाद का न्याय क्षेत्र बरेली होगा।
7. प्रत्येक ऑनलाइन आवेदन पत्र पर कम्प्यूटर-जनित 11 (ग्यारह) अंकों की एक संख्या अंकित है जो कि पंजीकरण संख्या है, जिसे बी0एड0 प्रवेश हेतु भविष्य में किए जाने वाले पत्राचार के लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। सभी पत्राचार निम्नांकित पते पर किया जाएगा : -

राज्य समन्वयक

संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी0एड0 (द्विवर्षीय) 2019-21
नेहरू केन्द्र, विश्वविद्यालय परिसर
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली (उ0प्र0), पिन-243006



बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2019-21 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रक्रिया निम्नवत् तीन चरणों में सम्पन्न होगी :

- प्रथम चरण – ऑनलाइन पंजीकरण करना।
द्वितीय चरण – आवेदन पत्र को पूर्ण करना।
तृतीय चरण – ऑनलाइन प्रवेश शुल्क का भुगतान तथा आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट प्राप्त करना।

कृपया नोट कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट की मूलप्रति/छायाप्रति को महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली अथवा कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट की मूलप्रति/छायाप्रति एवं उसकी पंजीकरण संख्या भविष्य में संदर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी0एड0 (द्विवर्षीय) 2019-21 के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व वेबसाईट www.mjpru.ac.in एवं www.upbed2019.in पर उपलब्ध निर्देशों को पढ़कर अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा हेतु अपनी अर्हता अवश्य सुनिश्चित कर लें।

प्रथम चरण – पंजीकरण

1. ऑनलाइन पंजीकरण हेतु आवेदन (Candidate Registration) लिंक पर क्लिक करें।
2. ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन की प्रविष्टियों को भरें। जहाँ-जहाँ (*) चिन्ह लगा है उन प्रविष्टियों को अनिवार्य रूप से भरना है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन में **अपनी 12 अंकों की आधार संख्या को भरना है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास आधार संख्या उपलब्ध नहीं है तो अपना पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर आईडी का नम्बर अंकित करें।**
3. समस्त प्रविष्टियों को पूर्ण करने के पश्चात् जाँच कर आश्वस्त होने के उपरान्त ही सबमिट (Submit) पर क्लिक करें।
4. सफलतापूर्वक पंजीकरण होने के साथ ही आपको कम्प्यूटर जनित 11 (ग्यारह अंकों) की पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड प्राप्त होगा। इस संख्या को सावधानीपूर्वक लिख लें एवं इस पृष्ठ का प्रिन्टआउट लेकर अपने पास सुरक्षित रखें क्योंकि पंजीकरण संख्या के आधार पर ही आगे की प्रक्रिया सम्पादित होगी।

नोट – प्रवेश हेतु केवल पंजीकरण करने मात्र से आपका बी0एड0 प्रवेश परीक्षा 2019-21 हेतु आवेदन पूर्ण नहीं होता है। यह केवल सफलतापूर्वक पंजीकरण का प्रतीक है। पंजीकरण के उपरान्त अभ्यर्थी को आवेदन पत्र को पूर्ण करना है तत्पश्चात् निर्धारित शुल्क जमा करना है। आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क जमा न होने की स्थिति में आवेदन अपूर्ण मानते हुए अस्वीकार कर दिया जाएगा।



बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2019-21 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



द्वितीय चरण – आवेदन पत्र को पूर्ण करना

1. पंजीकरण करने के पश्चात् आवेदन पत्र पूरित करें।
2. स्क्रीन पर माँगी गई सूचनाओं को भरने के बाद सबमिट (Submit) पर क्लिक करें।
3. ऑनलाइन आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना **नवीनतम रंगीन अभिमुख फोटो** (Front Face), **दोनों तर्जनी** (Both Index Fingers) तथा **हस्ताक्षर** 35mm × 45mm आकार में **अपलोड करना** अनिवार्य है। फोटोग्राफ, दोनों तर्जनी (Both Index Fingers) तथा हस्ताक्षर की 50 KB प्रत्येक की JPG format में कम्प्यूटर फाईल होगी। फोटो स्पष्ट और नवीनतम होना चाहिए। गहरे रंग के चश्मे के साथ खींची गयी फोटो स्वीकार न होगी तथा इस दशा में आवेदन पत्र निरस्त हो सकता है।
4. अंतिम रूप से सबमिट (Submit) करने के पूर्व एक बार पुनः प्रविष्टियों की जाँच कर स्वयं सुनिश्चित हो लें कि सभी प्रविष्टियाँ सही भरी गयी हैं। आश्वस्त होने के उपरान्त ही सबमिट (Submit) पर क्लिक करें। पूरित आवेदन पत्र का प्रिन्ट ए-4 आकार के कागज में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु अपने पास सुरक्षित रख लें।
5. ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी ने जिस फोटोग्राफ को अपलोड किया है, उसी फोटोग्राफ को ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट में निर्धारित स्थान पर चिपकायें एवं निर्धारित स्थान पर अपना एवं अपने पिता/संरक्षक का हस्ताक्षर करवायें। अभ्यर्थी निर्धारित स्थान पर अपने दोनों हाथों की तर्जनी (Both Index Fingers) का निशान लगायें एवं भविष्य में संदर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।

तृतीय चरण – शुल्क जमा करना एवं आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट प्राप्त करना

1. सम्बन्धित वेबसाइट पर शुल्क भुगतान लिंक पर क्लिक करें।
2. परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेन्ट Internet Banking/Debit Card/Credit Card द्वारा जमा करें।
3. ऑन-लाइन माध्यम से भुगतान करने पर बैंक द्वारा जारी Transaction ID को अपने पास सावधानीपूर्वक लिख कर सुरक्षित कर लें।
4. उत्तर प्रदेश के सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश परीक्षा शुल्क रु0 1500/-एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए रु0 750/-देय होगा। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश परीक्षा शुल्क रु0 1500/-देय होगा।



बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2019-21 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



ऑन-लाइन आवेदन सम्बन्धी सामान्य निर्देश
(General Instructions for Online Application)

1. अभ्यर्थी का नाम (Name of Candidate)

हाईस्कूल अथवा उसके समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार अपना पूरा नाम भरें। नाम के साथ श्री/श्रीमती/श्रीमान्/कुमारी/सुश्री आदि सम्बोधन सूचक शब्द नहीं भरें।

2. पिता का नाम (Father's Name)

जिस प्रकार क्रमांक 1 में अभ्यर्थी का नाम भरा गया है, उन्हीं निर्देशों के अनुसार पिता का नाम भरा जाए।

3. माता का नाम (Mother's Name)

जिस प्रकार क्रमांक 1 में अभ्यर्थी का नाम भरा गया है उन्हीं निर्देशों के अनुसार माता का नाम भरा जाए।

4. जन्म-तिथि (Date of Birth)

हाईस्कूल अथवा उसके समकक्ष प्रमाण-पत्र के अनुसार भरें। जन्मतिथि DD/MM/YYYY के प्रारूप में होगा।

5. ई-मेल (e-mail)

अपना ई-मेल इस स्थान पर लिखें। इस ई-मेल पर एक ओ.टी.पी. भेजा जाएगा जो कि आपको ई-मेल के वेरिफिकेशन के लिए भरना होगा।

6. मोबाइल नम्बर (Mobile Number)

अभ्यर्थी अपना 10 अंकों का मोबाइल नम्बर भरें। इस मोबाइल नम्बर पर एक ओ.टी.पी. भेजा जाएगा जो कि आपको मोबाइल नम्बर के वेरिफिकेशन के लिए भरना होगा।

7. लिंग (Gender)

पुरुष अभ्यर्थी, पुरुष (Male) के सम्मुख क्लिक करें तथा महिला अभ्यर्थी, महिला (Female) के सम्मुख क्लिक करें।

8. राष्ट्रियता (Nationality)

अभ्यर्थी अपनी राष्ट्रियता का चयन करें।

9. उत्तर प्रदेश का मूल निवासी (Domicile of UP)

यदि अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है तो हाँ (Yes) का चयन करें अन्यथा नहीं (No) का चयन करें। यदि अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है परन्तु उसने शैक्षिक योग्यता (हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट/स्नातक) उ०प्र० राज्य से बाहर से प्राप्त की है तो अभ्यर्थी को निर्देश पुस्तिका में दिए गए प्रारूप-11 के अनुसार ऑनलाइन प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। जिन अभ्यर्थियों ने हाईस्कूल /इण्टरमीडिएट/स्नातक उत्तर प्रदेश के किसी भी कालेज/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया है, ऐसे अभ्यर्थी अपनी हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट/स्नातक अंकतालिका या प्रमाण पत्र अपलोड करें।



बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2019-21 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



10. श्रेणी (Category)

अभ्यर्थी जिस श्रेणी का हो उसके सम्मुख क्लिक करें।

अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी/आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी (आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थी शासन द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रारूप प्राप्त होने के उपरान्त उसे अपलोड कर सकते हैं।) का निर्धारित प्रमाण पत्र धारित करता है तो अपने वर्ग के सम्मुख क्लिक करें। उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थी सम्बन्धित वर्ग पर क्लिक न करें। अर्थात् राज्यों के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी इस परीक्षा हेतु सामान्य श्रेणी के माने जाएँगे।

11. परिवार की कुल वार्षिक आय (Total Annual Income of the Family)

अभ्यर्थी अपने परिवार की कुल वार्षिक आय का उल्लेख करें।

12. उप-श्रेणी (Sub-Category)

यदि अभ्यर्थी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की श्रेणी का लाभ लेना चाहता/चाहती है तो सम्बन्धित श्रेणी का चयन करें। सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत सम्बन्धित प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

13. दिव्यांग (Differently Abled) / दृष्टिबाधित (Blind)

यदि अभ्यर्थी दृष्टिबाधित श्रेणी में आता है और इस संवर्ग का लाभ लेना चाहता/चाहती है तो हाँ (Yes) के सम्मुख क्लिक करें। अभ्यर्थी के पास मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा उसके द्वारा गठित एतदर्थ बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाणित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में मूल रूप में होना आवश्यक है।

14. वैवाहिक स्थिति (Marital Status)

अभ्यर्थी अपनी वैवाहिक स्थिति के लिए विवाहित/अविवाहित/परित्यक्ता/तलाकशुदा (Married/Unmarried/ Separated/Divorced) का चयन करें।

15. पत्र व्यवहार का पूरा पता (Complete Postal Address)

पत्र व्यवहार के पते में अभ्यर्थी अपना नाम एवं डाक का सम्पूर्ण पता भरें।

16. पिन कोड (Pin Code)

अभ्यर्थी अपने पत्र व्यवहार में दिए गए पते से सम्बन्धित पिनकोड नम्बर को भरें।

17. आधार नम्बर (Aadhar Number)

अभ्यर्थी अपना 12 अंकों का आधार नम्बर भरें। जिन अभ्यर्थियों का अभी तक आधार कार्ड नहीं बना है, वह अपना पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर आईडी0 का नम्बर भरें।

18. फोटो व अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (Photograph & Signature of the Candidate)

ऑनलाइन आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नवीनतम रंगीन अभिमुख फोटो (Front Face), दोनों तर्जनी (Both Index Fingers) तथा हस्ताक्षर 35mm × 45mm आकार में अपलोड करना अनिवार्य है। फोटोग्राफ, दोनों तर्जनी (Both Index Fingers) तथा हस्ताक्षर की 50 KB प्रत्येक की JPG format में कम्प्यूटर फाईल होगी। फोटो स्पष्ट और नवीनतम होना चाहिए। गहरे रंग के चश्मे के साथ खींची गयी फोटो स्वीकार न होगी तथा इस दशा में आवेदन पत्र निरस्त हो सकता है।



बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2019-21 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



19. स्नातक परीक्षा का विवरण (Details of Graduation)

अभ्यर्थी स्नातक उपाधि के पूर्णांक एवं प्राप्तांक को यथा स्थान भरें। इसे भरते ही प्राप्तांक प्रतिशत स्वतः दिखायी देने लगेगा।

20. परास्नातक परीक्षा विवरण (Details of Post Graduation)

अभ्यर्थी परास्नातक उपाधि के पूर्णांक एवं प्राप्तांक को यथा स्थान भरें। इसे भरते ही प्राप्तांक प्रतिशत स्वतः दिखायी देने लगेगा।

21. उप-श्रेणी (Sub-Category)

यदि अभ्यर्थी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, प्रतिरक्षा कर्मचारी आश्रित या दिव्यांगता की श्रेणी का लाभ लेना चाहता/चाहती है तो सम्बन्धित श्रेणी का चयन करें। सम्बन्धित प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

22. भारांक हेतु मांग (Weightage Claimed)

- अ) अभ्यर्थी भारांक की अर्हता के लिए परिशष्ट संख्या-1 को सावधानीपूर्वक देखें।
ब) उसके अनुसार परिशष्ट-1 में श्रेणी ए से एफ तक के नीचे उस कोड के अन्तर्गत मांगे गए भारांक से सम्बन्धित श्रेणी का चयन करें।
स) सम्बन्धित प्रमाण पत्र अपलोड करें।

23. प्रवेश परीक्षा हेतु शहर का विकल्प (City Option for Entrance Exam)

अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु तीन शहरों के नाम का विकल्प चुनना होगा (परिशिष्ट-3 देखें), महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली द्वारा परीक्षा केन्द्रों का आबंटन किया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा आबंटित परीक्षा केन्द्र अभ्यर्थी को स्वीकार करना होगा।

24. विषय समूह (Subject Stream)

अभ्यर्थी अपने विषय समूह का चयन करें। (प्रवेश परीक्षा का प्रारूप देखें)

25. घोषणा (Declaration)

अभ्यर्थी घोषणाओं को सावधानीपूर्वक पढ़ें तथा निर्देशों का पालन करें।

नोट- ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट की मूलप्रति/छायाप्रति एवं उसकी पंजीकरण संख्या भविष्य में संदर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।

आरक्षण व भारांक से सम्बन्धित प्रारूप का संदर्भ विवरण-पुस्तिका में दिए गए प्रारूप से लें।



बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2019-21 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



आरक्षण

- (A) **ऊर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation) :** बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों के पक्ष में क्रमशः 21 प्रतिशत, 02 प्रतिशत, 27 प्रतिशत व 10 प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना/शासनादेश के अनुसार देय होगा।
- (B) **क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) :** शारीरिक रूप से दिव्यांग (न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता)/दृष्टिहीन अभ्यर्थियों हेतु समस्त प्रवेश सीटों का 03 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। इन अभ्यर्थियों को जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र अपने पास सुरक्षित रखना होगा कि वह विकलांग की श्रेणी में आते हुए भी चर्म रोग, हकलाना, मूक, बधिर या अन्य किसी ऐसी व्याधि से ग्रस्त नहीं हैं जिसके कारण बच्चों के संक्रमण या उनके कक्षा-शिक्षण में बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो। यह प्रमाण पत्र आवश्यकतानुसार माँगे जाने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 02 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। उ0प्र0 के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षा कर्मियों अथवा उत्तर प्रदेश में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र-पुत्रियों को समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 05 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। महिलाओं के लिए समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 20 प्रतिशत आरक्षण देय होगा।

नोट :-

1. यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों की किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्त सीट रह जाती है तो उसी श्रेणी से सम्बन्धित व्यक्तियों से ऐसी रिक्ति को भरने के लिए दूसरा विशेष प्रवेश अभियान चलाया जाएगा।
2. यदि उक्त क्रम संख्या 01 में निर्दिष्ट विशेष प्रवेश अभियान में अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए उपलब्ध न हो तो ऐसी रिक्ति को अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों से भरा जाएगा।
3. यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी निर्दिष्ट विशेष प्रवेश अभियान के उपरान्त भी आरक्षित सीटों में से कोई सीट उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरे रह जाती है तो ऐसी रिक्ति को योग्यता के आधार पर किसी अन्य उपयुक्त अभ्यर्थी से नियमानुसार भरा जाएगा।
4. यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के किसी श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर सामान्य अभ्यर्थी के रूप में चयनित होता है और वह सामान्य अभ्यर्थी के रूप में बना रहना चाहता/चाहती है तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अधीन ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा।

- (C) **नेत्रहीन अभ्यर्थियों** को श्रुत लेखक (Writer) लाने की सुविधा अनुमन्य है। प्रतिबन्ध यह होगा कि श्रुत लेखक की वर्तमान शैक्षिक योग्यता कक्षा-12 अथवा इसके समकक्ष से अधिक न हो।
- (D) **अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों** के लिए मेरिट सूची के आधार पर अर्ह होने की दशा में अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को अधिकतम 05 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जाएगा।
- (E) **केवल उत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से निवास करने वाले अभ्यर्थियों** को ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के समुदाय का लाभ अनुमन्य है। आरक्षण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पिता के नाम के साथ ही होना मान्य होगा।



बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2019-21 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन करने के पात्र होंगे। विवाहित महिला अभ्यर्थियों का आय प्रमाण-पत्र पति के नाम पर निर्गत होना चाहिए।

टिप्पणी : काउन्सलिंग के प्रारम्भ होने तक आरक्षण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन/सरकार द्वारा जो भी शासनादेश/अधिसूचना निर्गत होंगे, उनके अनुसार ही आरक्षण (ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज) अनुमन्य होगा।

प्रवेश पत्र की प्रति

अभ्यर्थी अपना राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा बी0एड0 (द्विवर्षीय)-2019 का प्रवेश पत्र प्रवेश परीक्षा की तिथि के सात दिन पूर्व राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा बी0एड0 (द्विवर्षीय)-2019 की वेबसाइट www.mjpru.ac.in एवं www.upbed2019.in पर लॉगिन कर आपनी आवेदन पत्र की पंजीकरण संख्या देकर डाउनलोड कर सकता है।

अभ्यर्थी प्रवेश पत्र को दो प्रतियों में मुद्रित (प्रिन्ट) कर लें व ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी ने जिस फोटोग्राफ को अपलोड किया है, उसी फोटोग्राफ को प्रवेश पत्र के प्रिन्टआउट में निर्धारित स्थान पर चिपकायें एवं निर्धारित स्थान पर अपना एवं अपने पिता/संरक्षक का हस्ताक्षर करवायें। अभ्यर्थी निर्धारित स्थान पर अपनी दोनों तर्जनी (Both Index Fingers) का निशान लगायें। प्रवेश परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र की दो प्रतियाँ लानी हैं व एक प्रति परीक्षा कक्ष में कक्ष निरीक्षक महोदय को देनी है।



बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2019-21 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रवेश परीक्षा का प्रारूप

प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रश्न होंगे। पूर्व वर्षों की भाँति इस वर्ष भी नेगेटिव मार्किंग (Negative Marking) की प्रक्रिया यथावत रहेगी। प्रत्येक सही उत्तर के 02 (दो) अंक मिलेंगे व प्रत्येक गलत उत्तर के 1/3 (एक तिहाई) अंक काटे जाएँगे।

प्रवेश परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होंगे।

प्रश्न पत्र – प्रथम

खण्ड	विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	कुल अंक	कुल समय
अ	सामान्य ज्ञान (General Knowledge)	50	100	200	3 घण्टे
ब	भाषा (हिन्दी/अंग्रेजी में से कोई भी)	50	100		

उपरोक्त खण्ड 'अ' सभी के लिए अनिवार्य है। खण्ड 'ब' भाषा से सम्बन्धित होगा, इस खण्ड में हिन्दी एवं अंग्रेजी के पृथक-पृथक भाग होंगे। इन दोनों भाषाओं में से अभ्यर्थी को किसी एक भाषा के लिए प्रश्न हल करने होंगे।

प्रश्न पत्र – द्वितीय

खण्ड	विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	कुल अंक	कुल समय
अ	सामान्य अभिरुचि परीक्षण (General Aptitude Test)	50	100	200	3 घण्टे
ब	विषय योग्यता (कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि)	50	100		

उपरोक्त खण्ड 'अ' सभी के लिए अनिवार्य है। खण्ड 'ब' में 4 विषय वर्ग (कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि) होंगे। अभ्यर्थी को इस भाग में से केवल अपने विषय वर्ग के ही प्रश्नों को हल करना होगा जो कि अभ्यर्थी ने अपने विकल्प के रूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरा है। सम्बन्धित विषय वर्ग के सभी प्रश्न स्नातक स्तर के होंगे।



बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2019-21 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



परिशिष्ट-1

भारतों से सम्बन्धित प्रावधान

श्रेणी	अधिभार श्रेणी का विवरण	अंक
'A'	राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या अन्तर्विश्वविद्यालय खेलकूद की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को	
	1. इन्डीविजुअल आइटम में अभ्यर्थी द्वारा	
	(अ) प्रथम स्थान आने पर	15
	(ब) द्वितीय स्थान आने पर	10
	(स) तृतीय स्थान आने पर	05
	2. टीम आइटम में	
	(अ) सर्वविजेता (चैम्पियन) टीम का सदस्य होने पर	15
	(ब) सर्वउपविजेता (रनर अप) टीम का सदस्य होने पर	10
	(स) प्रतिभागी टीम का सदस्य होने पर	05
	3. किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अन्य महाविद्यालय टूर्नामेन्ट या क्रीडा या खेलकूद प्रतियोगिताओं में	
(अ) सर्वविजेता (चैम्पियन) टीम का सदस्य होने पर	10	
(ब) एकल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आने पर	10	
'B'	नोट : 1) उपर्युक्त 1, 2 एवं 3 के अन्तर्गत उल्लिखित मदों में से केवल एक ही मद/प्रतियोगिता का लाभ दिया जाएगा अर्थात् यदि किसी छात्र ने एक से अधिक टीम/प्रतियोगिता में भाग लिया है तो उसे एक ही टीम/प्रतियोगिता का लाभ देय होगा। 2) राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय खेलकूद अथवा क्रीडा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शासन के खेलकूद विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। 3) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित खेलकूद प्रतियोगिता में आयोजक विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।	
	नेशनल कैडेट कोर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के अभ्यर्थी	
	1. नेशनल कैडेट कोर में (सी) प्रमाण पत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी तथा जी-2 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को	15
	या	
2. नेशनल कैडेट कोर में (बी) प्रमाण पत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी तथा जी-1 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को	10	
या		
3. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं 2 विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को	15	
या		
4. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं 1 विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को	10	
या		
5. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा करने वाले अभ्यर्थी को	05	



बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2019-21 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



	या	
6. स्काउट एवं गाइड्स अथवा रोवर्स/रेन्जर्स का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को		15
	या	
7. स्काउट एवं गाइड्स का राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अथवा रोवर्स/रेन्जर्स निपुण अभ्यर्थी को		10
	या	
8. स्काउट एवं गाइड्स गुरुपद अथवा रोवर्स/रेन्जर्स तृतीय सोपान में प्रवीण प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को		05
नोट : 1) उपरोक्त 1 से 8 के अन्तर्गत आइटम में से केवल एक ही मद का लाभ देय होगा। 2) किसी भी आइटम के लिए प्रोविजनल प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। 3) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा से तात्पर्य दो सतत् शैक्षणिक सत्रों में सेवा/सदस्यता से है।		
‘C’ स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को आरक्षण		15
‘D’ ऐसे अभ्यर्थी जो सक्रिय सेवारत या विसैन्यीकृत या सेवानिवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी हों या ऐसे कर्मचारी के पुत्र या पुत्री के रूप में सम्बन्धित हों या ऐसे कर्मचारी जो अपंग, लापता या मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी से उनके पुत्र, पुत्री, पत्नी के रूप में सम्बन्धित हों।		15
‘E’ ऐसे अभ्यर्थी जिनके पिता अथवा पति पुलिस या पी.ए.सी. या बी.एस.एफ. या एस.एस.बी. या आई.टी.बी.पी. या सी.आर.पी.एफ. या होमगार्ड्स में सेवारत हों या सेवानियुक्त, अपंग या मृत हो गये हों, का प्रमाण पत्र (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए)		15
‘F’ ऐसी महिला अभ्यर्थी जो विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता हो (ऐसे अभ्यर्थी को विधि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा)		15
नोट : 1. श्रेणी ‘C’ से ‘F’ तक के प्रमाण पत्रों के प्रारूप इस विवरणिका के अंत में दिए गए हैं। प्रमाण पत्र में उल्लिखित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होने पर ही प्रमाण पत्र मान्य होगा। 2. यदि किसी अभ्यर्थी को उपर्युक्त श्रेणी ‘A’ से ‘F’ तक उल्लिखित मदों में 25 से अधिक अंक प्राप्त होते हैं तो उसे अधिकतम 25 अंकों का ही लाभ दिया जाएगा। 3. खेलकूद/एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काउट-गाइड/रोवर्स-रेन्जर्स से सम्बन्धित अधिभार अंक उसी दशा में मान्य होंगे यदि उक्त से सम्बन्धित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र प्रेषित करने की अन्तिम तिथि से पूर्व में अर्जित किए गए हों। टिप्पणी : काउन्सलिंग के प्रारम्भ होने तक आरक्षण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन/सरकार द्वारा जो भी शासनादेश/अधिसूचना निर्गत होंगे, उनके अनुसार ही आरक्षण (ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज) अनुमन्य होगा।		



बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2019-21 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



परिशिष्ट-2

संयुक्त बी0एड0 प्रवेश परीक्षा 2019-21 से सम्बन्धित विश्वविद्यालय

क्रम संख्या	विश्वविद्यालयों के नाम
1.	महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली-243006
2.	डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा-282004
3.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ-226007
4.	डा0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या-224001
5.	चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ-200005
6.	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी-248128
7.	महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी-221002
8.	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी-221001
9.	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर-222003
10.	दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर-273009
11.	छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर-208025
12.	इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, प्रयागराज-211002
13.	जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया-277301
14.	सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर-272205
15.	ख्वाज़ा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू-अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ-226013
16.	गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, नोयडा-201312



बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2019-21 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



परिशिष्ट-3

राज्य स्तरीय बी0एड0 (द्विवर्षीय) प्रवेश परीक्षा 2019-21 के परीक्षा केन्द्रों के लिए
प्रस्तावित शहरों की सूची

क्रम संख्या	शहर का नाम	कोड
1.	बरेली	40
2.	मुरादाबाद	41
3.	आगरा	42
4.	अलीगढ़	43
5.	मेरठ	44
6.	गाज़ियाबाद	45
7.	झाँसी	47
8.	जौनपुर	48
9.	आजमगढ़	49
10.	प्रयागराज	50
11.	लखनऊ	51
12.	कानपुर	53
13.	वाराणसी	57
14.	अयोध्या	60
15.	गोरखपुर	61



बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2019-21 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप-1

(विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा स्त्री के लिए प्रमाण पत्र)

(अ) प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती.....
एक विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला है। उनके पति श्री/स्वर्गीय.....
.....की मृत्यु अभिलेखों के अनुसार दिनांक.....
को हुई है।

दिनांक :.....

तहसीलदार के हस्ताक्षर एवं मोहर
अधिकारी का नाम.....

- (ब) तलाकशुदा स्त्री के लिए न्यायालय से तलाक स्वीकृत होने सम्बन्धी न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि को संलग्न करना अनिवार्य है।
- (स) परित्यक्ता महिला के लिए न्यायिक अलगाव तथा निर्वाह भत्ते के लिए न्यायालय में दी गयी अर्जी तथा न्यायालय द्वारा उस पर की गयी कार्यवाही की न्यायालय से प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है।



बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2019-21 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप-2

(प्रतिरक्षा कर्मचारी एवं उनके पुत्र/पुत्री/पत्नी के लिए प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु0/श्रीमती.....के
पिता/पति एक प्रतिरक्षा अधिकारी हैं जिनका रैंक.....तथा नम्बर.....है, जो
कि सक्रिय सेवारत हैं।

अथवा सक्रिय सेवारत थे और अपंग हो गए

अथवा ससम्मान सक्रिय सेवा से अवकाश प्राप्त किया।

श्री/कु0/श्रीमती.....इनके पुत्र/पुत्री/पत्नी हैं।

दिनांक :.....

ऑफिसर कमाण्डेण्ट अथवा सेक्रेट्री सोलजर्स बोर्ड
के हस्ताक्षर एवं मोहर
अधिकारी का पूरा नाम.....



बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2019-21 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप-3

अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST)
(अभ्यर्थी के जन्म जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु0

पुत्र/पुत्री श्री.....निवासी गाँव/शहर.....

तहसील.....जिला.....प्रदेश.....

का जन्म.....जाति में हुआ था और यह जाति अनुसूचित जाति/जनजाति (संशोधन) एक्ट 1956 के अन्तर्गत भारत सरकार/उत्तर प्रदेश शासन/सरकार द्वारा मान्य अनुसूचित जाति/जनजाति है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर

नाम

मोहर

जिला अधिकारी/अतिरिक्त जिला अधिकारी/
सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार



बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2019-21 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप-4

(उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

सुपुत्र/सुपुत्री श्री.....निवासी ग्राम.....

तहसील.....नगर.....जिला.....

उत्तर प्रदेश राज्य कीपिछड़ी

जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

उक्त अधिनियम 1994 की अनुसूची-2 (अधिसूचना संख्या-22/16/92-का 02/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर, 1955 द्वारा यथा संशोधित) से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के

ग्राम.....नगर.....जिला.....

में सामान्यतया रहता है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर

नाम

मोहर

जिला अधिकारी/अतिरिक्त जिला अधिकारी/सिटी
मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

नोट : अभ्यर्थी ध्यान दें कि उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र 01 अप्रैल, 2016 के पश्चात् निर्गत हुआ होना आवश्यक है क्योंकि क्रीमीलेयर के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।



बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2019-21 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप-5

(स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों से सम्बन्धित प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु0*

श्री**

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, निवासी.....के आश्रित***

.....हैं।

दिनांक :

स्थान :

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम मोहर के साथ
अधिकारी का पूरा नाम.....

नोट : इस प्रमाण-पत्र के साथ जिला अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र एवं पेन्शन बुक की सत्यापित फोटो प्रति संलग्न करना आवश्यक है। उपरोक्त के अभाव में यह प्रमाण-पत्र अमान्य होगा।

*यहाँ आश्रित का नाम लिखें।

**यहाँ स्वतन्त्रता सेनानी के आश्रित का नाम लिखा जाए।

***यहाँ स्वतन्त्रता सेनानी के आश्रित का सम्बन्ध लिखा जाए।

केवल जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य है।



बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2019-21 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप-6

(प्रतिरक्षा कर्मचारी के आश्रितों के लिए प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु0/श्रीमती.....

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....रैंक.....

नम्बर.....जो प्रतिरक्षा सक्रिय सेवा में है अथवा सेवानिवृत्त हो चुका है अथवा युद्ध के समय
लापता हो गए हैं।

दिनांक :.....

आफिसर कमाण्डेण्ट अथवा सेक्रेटरी सोलजर्स
बोर्ड के हस्ताक्षर एवं मोहर
अधिकारी का पूरा नाम.....



बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2019-21 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप-7

(पुलिस/पी.एस.सी./होमगार्ड/बी.एस.एफ./आई.टी.बी.पी./सी.आर.पी.एफ. विभाग का प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु0/श्रीमती.....के
पिता/पति श्री.....एक पुलिस/पी.एस.सी./होमगार्ड/बी.एस.एफ.
/आई.टी.बी.पी./सी.आर.पी.एफ. विभाग में सेवारत कर्मचारी हैं जिनका रैंक.....
नम्बर.....है/सेवारत हैं/थे और अपंग हो गए। उन्होंने सेवा से अवकाश प्राप्त किया।

दिनांक :.....

पुलिस अधीक्षक/कमाण्डेण्ट के हस्ताक्षर
पद की मोहर के साथ
अधिकारी का पूरा नाम



बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2019-21 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप-8

(केवल उन अभ्यर्थियों के लिए जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु0/श्रीमती.....

आत्मज/आत्मजा.....ग्राम.....

तहसील.....नगर.....जिला.....

राज्य.....के/की स्थायी निवासी हैं। अतः ये दूसरे प्रान्त के/की श्रेणी में आते/आती हैं।

दिनांक :.....

पद जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/
सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार
पदनाम की मोहर.....



बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2019-21 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप-9

(यह प्रमाण पत्र उस जिले के अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है जिस जिले के अभ्यर्थी के माता/पिता निवासी हैं)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम).....
पिता/माता श्री/कु0 (अभ्यर्थी का नाम).....उत्तर प्रदेश
के गाँव/शहर.....तहसील.....जिला.....के मूल
निवासी हैं तथा श्री/कु0/श्रीमती (अभ्यर्थी का नाम).....के
माता/पिता सामान्यतः निवास करते हैं।

दिनांक :

हस्ताक्षर जिला मजिस्ट्रेट

पूरा नाम.....

पदनाम.....

मोहर

(जिला मजिस्ट्रेट की सील)

जिला मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत अपर जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजन मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे जो शा.आ.सं.-157/जीन-2003-77(11)/83 दिनांक 18 फरवरी, 2003 के अधीन जारी किए जाएँगे।



बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2019-21 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप-10

(विकलांग/दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
आत्मज/आत्मजा.....ग्राम.....तहसील.....
नगर.....जिला.....राज्य.....के निवासी हैं
और निम्नांकित विकलांग/दिव्यांग श्रेणी में आते हैं परन्तु इस श्रेणी में आते हुए भी वे चर्म रोग, हकलाना,
मूक बधिर या किसी अन्य किसी ऐसी व्याधि से ग्रस्त नहीं हैं, जिनसे छात्रों में संक्रमण या उनकी कक्षा
शिक्षण में बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो। उनकी विकलांगता/दिव्यांगता.....
अंग से सम्बन्धित है तथा विकलांगता का स्वरूपप्रतिशत है।

विकलांगता/दिव्यांगता की श्रेणी

1. हाथ या पैर से विकलांग/दिव्यांगता
2. आँख से विकलांग/दिव्यांग

दिनांक :.....

मुख्य चिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर
नाम
एवं मुहर



बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2019-21 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप-11

(सामान्य निवास प्रमाण पत्र)

तहसीलदार.....की आख्या दिनांक.....के आधार पर एतद्वारा यह
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु0/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
.....निवासी मकान नम्बर.....ग्राम.....
मौहल्ला.....तहसील.....जनपद.....उत्तर प्रदेश
का/की निवासी हैं व उनका वर्तमान पता मकान नम्बर.....ग्राम.....
मौहल्ला.....तहसील.....जनपद.....उत्तर
प्रदेश है।

उपर्युक्त की पुष्टि प्रारूप-1 में आवेदक एवं सत्यापनकर्ता द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना तथा इससे
संतुष्ट हो जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जनपद का सामान्य निवासी होने का
प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है।

दिनांक :.....

हस्ताक्षर उप जिलाधिकारी
पूरा नाम
पद नाम
मुहर
(उप जिलाधिकारी की सील)



बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश
आयोजक : महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2019-21 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



CONTACT US

Telephone Numbers	
B.Ed. 2019-21 Information Cell	0581-2520011, 6397994838
Fax Number	0581-2528384
E-mail ID	upbedjee2019@gmail.com
State Coordinator	6397994837 U.P. B.Ed. JEE- 2019-21 Nehru Kendra, Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly (U.P.) 243006
Registrar/Nodal State Officer	0581-2527263
Website	www.mjpru.ac.in and www.upbed2019.in